

मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक:19.08.2024

थाना को0कटरा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग से सम्बन्धित 04 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'अभिनन्दन' द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं ।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-151/2024 धारा 3(1)उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम के अभियोग में बड़ी कार्यवाही करते हुए आज दिनांक: 19.08.2024 को प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना को0कटरा क्षेत्रांतर्गत शिवाला महन्थ के पास से वांछित 04 नफर अभियुक्त 1. संजय कुमार मौर्या पुत्र सुभाष मौर्या निवाली बर्जी मुकुन्दपुर थाना पडरी जनपद मीरजापुर , 2. रतनलाल मौर्या पुत्र स्व 0 बनवारी मौर्या निवासी पहाडी थाना कोतवाली देहात मीरजापुर , 3. मुन्नु बिन्द पुत्र होरी लाल बिन्द निवासी ग्राम दुल्हपुर राजपुर थाना पडरी जनपद मीरजापुर , 4.बृजेश सोनकर पुत्र बहादुर सोनकर निवासी मोहल्ला विसुन्दरपुर थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया । गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त द्वारा गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर स्वयं तथा गैंग के सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु प्रतियोगी परीक्षा में फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने जैसे गंभीर प्रकृति के अपराधों को कारित किया जा रहा था । जिसके सम्बन्ध में थाना को0कटरा पर मु 0अ0सं0 30/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि व 3/9 उ 0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम पजीकृत है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. संजय कुमार मौर्या पुत्र सुभाष मौर्या निवाली बर्जी मुकुन्दपुर थाना पडरी जनपद मीरजापुर उम्र करीब 29 वर्ष ।
2. रतनलाल मौर्या पुत्र स्व0 बनवारी मौर्या निवासी पहाडी थाना कोतवाली देहात मीरजापुर उम्र करीब 28 वर्ष ।
3. मुन्नु बिन्द पुत्र होरी लाल बिन्द निवासी ग्राम दुल्हपुर राजपुर थाना पडरी जनपद मीरजापुर उम्र करीब 49 वर्ष ।
- 4.बृजेश सोनकर पुत्र बहादुर सोनकर निवासी मोहल्ला विसुन्दरपुर थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर उम्र करीब 28 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास —

मु0अ0सं0 30/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि व 3/9 उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम थाना को0कटरा मीरजापुर ।

मु0अ0सं0-151/2024 धारा 3(1)उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम थाना को0कटरा मीरजापुर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम —

प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार सिंह मय पुलिस टीम थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर ।

